न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 122/2019 (43/2018)
GCMS NO. : 2018/00174

–:: प्रार्थीगण ::–

1. महिमा पत्नी भरतसिंह जाति चारण निवासी सांगावास तहसील जैतारण।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. कल्याणसिंह पुत्र हणुतदान जाति चारण निवासी सांगावास तहसील जैतारण।
2. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।
3. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कार्यालय जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 25/09/2019**

उपस्थितः

1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 27/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला गैरसायल संख्या एक के पुत्र भरतसिंह की पत्नी है। सायला की पुश्तैनी कृषि भूमि पटवार हल्का सांगावास तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे खसरा नम्बर 79, 80/241, 80 कुल रकबा 70 बीघा 16 बिस्वा (11. 460.7) कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे सायला के ससुर गैरसायल संख्या एक का 1/5 हिस्सा कुल भूमि मे आता है तथा मौके पर 1/5 हिस्सा पर कब्जा व काश्त है। सायला के ससुर गैरसायल संख्या एक कल्याणसिंह व सायला के देवर राकेशसिंह मिलीभगत कर पूर्व मे प्रार्थनापत्र की पद संख्या एक मे बतायी गयी कृषि भूमि अपने हिस्से की बताई गई जमीन का बेचान कर दिया व बाकी बची हुई कृषि भूमि को और बेचान करने पर तुले हुए है सायला का पति को अधिक शराब पीने के कारण मानसिक सन्तुलन बिगड चुकी है सायला का भरण पोषण भी नही कर पा रहा है सायला के एक जायन्दा पुत्र भी है जिसका नाम यश है जो किडनी की बिमारी से पीडित है सायला [illegible] कमाने मे भी असक्षम है। जबकि गैरसायल संख्या एक सायला का स[illegible] उक्त सम्पूर्ण पुश्तैनी जमीन बेचान करने पर तुला हुआ है अगर [illegible] सम्पूर्ण पुश्तैनी जमीन कृषि भूमि का बेचान गैरसायल संख्या एक द्वारा कर दिया तो सायला व उसके पुत्र को मरने की नौबत आ जायेगी, सायला का उक्त पुश्तैनी भूमि मे सायला का हक हकूक कानूनन बनता है सायला अपने उक्त पुश्तैनी कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का बेचान गैरसायल संख्या एक को करने का कोई कानूनी अधिकार नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है इसलिए श्रीमान् की सेवा मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। सायला ने अपने ससुर गैरसायल संख्या एक को काफी समझाईस की उक्त पुश्तैनी भूमि को आप बेचान नही करे लेकिन गैरसायल संख्या एक ने दिनांक 21/02/2018 को सायला को गैरसायल संख्या एक ने उक्त पुश्तैनी भूमि का बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की धमकी दी जबकि सायला ने गैरसायल संख्या एक से कहा कि आपने अपने हिस्से की व राकेशसिंह के हिस्से की कृषि भूमि सम्पूर्ण रूप से बेचान कर दी जिसकी राशि आप लोगो के पास ही है सायला अपने जीवन निर्वाह हेतु पुश्तैनी भूमि मे से अपने हिस्से भूमि का बेचान कतई नही त होने देना चाहती है सायला के ससुर के दो पुत्र है भरतसिंह व राकेशसिंह, सायला भरतसिंह की पत्नी है सायला अपने हक हकूक को कानून का सहारा लेकर सुरक्षित रखना चाहती है सायला अपने पुश्तैनी कृषि भूमि मे से अपने पति के हिस्से की कृषि भूमि मे से अपने स्वयं के नाम व अपने पुत्र यश के नाम बतौर खातेदार काश्तकार के घोषित करवाना चाहती है इसलिए यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। गैरसायल संख्या एक सायला की पुश्तैनी भूमि मे से सायला के हक हकूक की कृषि भूमि का रजिस्टर्ड बेचान कर देता है तो सायला अपने जायज हक़ हक़ूको एवं अधिकारो से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगी एवं सायला को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी तथा मौके पर कब्जे को लेकर भी वाद विवाद होगा जिससे मल्टी प्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् बढेगी एवं विविध प्रकार की पेचीदगिया पैदा होगी एवं अनेको प्रकार के मुकदमेबाजी होगी जिससे सायला को जेरबार होना पडेगा। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित भूमि मे से सायला अपने हक हिस्से की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खडाई बुवाई कटाई निराई गुडाई सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे एवं गैरसायल संख्या एक प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित भूमि के किसी भी भू भाग का बेचान हस्तान्तरण किसी अन्य को नही करे तथा सब रजिस्ट्रार महोदय, जैतारण उक्त भूमि के किसी भू भाग के बेचान हस्तान्तरण के दस्तावेज को पंजीयन नही करे एवं तहसीलदार महोदय, जैतारण वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के अंतिम निर्णय तक यथावत् रखी जावे ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा की बहक सायला विरुद्ध गैरसायलान् के सादिर फरमावें ।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो सा०मि० है। गैरसायलन 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा०मि० है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित यह कथन कि सायला जबाब देहन्दा के पुत्र भरतसिंह की पत्नि होने के तथ्यों को स्वयं साबित करें। साथ ही इस पद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को तथ्यों को भी सायला स्वयं साबित करे। लेकिन यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में अन्य सहहिस्सेदार भी है। जिन्होने भूमि खरीद की है तथा जबाब देहन्दा अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। जो सही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित कथन कि – जबाब देहन्दा ने अपने पुत्र राकेशसिंह के सिखावे में आकर उसके कहेनुसार भूमि बेच दी है । तथा शेष भूमि को बेचान करने पर तुले हुये होने, भरतसिंह का मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाने, व यश को कीडनी की बिमारी होने के तथ्य भी पूर्णतया झूठे व बेबुनियाद है। जबकि वास्तविकता में जबाब देहन्दा ने अपने दोनों पुत्रों की सहमति से अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान गीतादेवी पत्नि जोगाराम जी की कुमावत निवासी निमाज वाले को बेचान की थी। जिससे प्राप्त राशि जबाब देहन्दा ने अपने दोनों पुत्रों को आधी आधी सौंप दी थी एवं उनके कथनानुसार ही बेचान किया था। सायला स्वयं झगड़ालू प्रवृति की महिला है जो आदतन लड़ाई झगड़ा व विवाद करती रहती है एवं पूर्व में अपने पति सास ससुर पर कई झूठे मुकदमें करती रही है व उसी नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। कानूनन सायला जबाब देहन्दा के जीवन काल में व उनके पुत्रों के जीवन काल में इस वादंग्रस्तं भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार मांगने की अधिकारीणी नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियत के प्रावधानों अनुसार भी सायला का इस वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। सायला जबाब देहन्दा के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 मे वर्णित कथन व लगाये गये आरोप गलत व बेबुनियाद है सायला आदतन झगड़ालू प्रवृति की महिला है। जिसने अपने ससुर व पति के विरूद्ध पूर्व में कई झूठे आरोप लगाये गये है व मुकदमें दर्ज करवाये है। जो बाद जांच के झूठे माने गये एवं सायला ने जबाब देहन्दा को तंग व परेशान करने की मंशा से यह झूठी कार्यवाही की है। पूर्व में जवाब देहन्दा ने जो भूमि बेचान की थी उससे प्राप्त राशि का आध आधा बंट्वाड़ा अपने दोनों पुत्रों के कहेनुसार कर दिया गया है तथा बैंक का ऋण भी चुकाया है। सांगावास में रहवासी मकान भी बनाया है। तथा जबाव देहन्दा ने अपने पिता हणुतदान जी के जीवन का जो ऋण था उसे भी चुकाया है। इस प्रकार से पूर्व में किया गया बेचान जबाब देहन्दा ने अपने घर परिवार की जायज जरूरत हेतु किया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों सायला का इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। भरतसिंह का मानसिक संतुलन खराब होने के आरोप भी सायला ने झूठे लगाये है। कानूनन जबाब देहन्दा व भरतसिंह के जीवन काल में सायला एवं यश इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है न ही सायला घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है। जब इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायला का कोई हक व अधिकार ही नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seemer
Date: 2021.10.11 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है तो सायला को किसी भी प्रकार की क्षति होने एवं वाद बाहूल्यता होने के कथन कतई झूठे है। इसलिए भी सायला की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में नहीं होकर के जबाब देहन्दा के पक्ष में है यदि इस प्रकरण में किसी प्रकार से कोई स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायला को नहीं होकर जबाब देहन्दा के पक्ष में है। इसलिए सायला का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** मूल प्रकरण के संबन्ध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर व उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा में वादग्रस्त आराजी को पैतृक पुश्तैनी होना कथन करते हुए खातेदार एवं अपने ससुर अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवेदन किया है। प्रथम तो प्रार्थिया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपने पति व ससुर (प्रतिवादी सं. 1) के जीवनकाल में प्रार्थिया किस विधिक प्रावधान के तहत वादग्रस्त आराजी में ससुर के हिस्से की भूमि में अपने हक–हिस्से के लिए घोषणा करवाने की अधिकारी है एवं ना ही इस संबंध में कोई विधिक दृष्टांत ही प्रस्तुत किया है। द्वितीय प्रार्थिया ने यह भी कहीं अंकित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका हिस्सा कितना है। अपने कब्जे काश्त के सम्बन्ध में भी प्रार्थिया द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थिया के कथनों का खंडन करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी जवाब देहान्दा व उसके पुत्रों के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार को कोई हक–हिस्सा मांगने की अधिकारिणी नहीं है, जिसका प्रार्थिया द्वारा खण्डन भी नहीं किया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया/वादीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं हुआ है एवं साधारणतयाः वादग्रस्त आरा[illegible]र्तमान उपयोग/उपभोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। [illegible] सं. 1 वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार के रूप में दर्ज है जो जमाबंदी संवत् 20[illegible]3 [illegible] अवलोकन से स्पष्ट है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में निहित है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचन में दोनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी खातेदार है एवं प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थिया/वादीया के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:53 IST
Reason: SelfAttested